CONTENTS

- एड्स समस्या निवारण की पारिवारिक पृष्ठभूमि का समाजशास्त्रीय अध्ययन (एड्स के अनुसन्धान शिक्षा और सेवा के सन्दर्भ में) 1-6
  धर्मेन्द्र सिंह
- भारत के परिप्रेक्ष्य में स्वयं सहायता समूह एवं महिला सशक्तिकरण 7-10
  डॉ0 रामप्रकाश भाष्कर
- निर्गुण काव्य में राम : एक दृष्टि 11-13
  शिवि तिवारी
- वेदों में आयुर्वेद का वर्णन 14-18
  अशोक कुमार पटेल
- वैष्णव धर्म का विकास का ऐतिहासिक अध्ययन 19-22
  अरुणेश कुमार
- समकालीन हिन्दी कविता : स्वरूप एवं प्रवृत्तियाँ 23-28
  सतीष कुमार पाण्डेय
- भारत में ज्ञान की उज्जवल परम्परा 29-34
  सुधीर कुमार सिंह
- सामन्ती समाज और मीरा का संघर्ष 35-42
  सुकृति मिश्रा
- **MONETARY SYSTEM, MARKET AND PRODUCTION IN MEDIEVAL INDIA** 43-51
  Amit Kumar
- **INNOVATIVE PRACTICES IN TEACHING LEARNING** 52-60
  Vandana Yadav
- प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त : भ्रम एवं तत्व 61-75
  डॉ0 सौम्या यादव
- नैषधीय दमयन्ती 76-81
  सिद्धेश्वर नाथ ओझा
- आदर्श शून्य विद्यार्थियों समाजशास्त्रीय अध्ययन 82-93
  डॉ0 संतोष कुमार श्रीवास्तव
- महिला सशक्तिकरण : एक मनोवैज्ञानिक अवलोकन 94-96
  डॉ0 शालिनी सोनी
- राजस्थान में चित्रकला का विकास : एक अध्ययन 97-100
  डॉ0 सन्तोष कुमार सैनी
- **SIGNIFICANCE CHANGES IN TRENDS OF INDIA'S FOREIGN TRADE SINCE 1991** 101-106
  Rajni Kant Ojha
- वाराणसी में हुए संरचनात्मक बदलाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन 107-112
  डॉ0 विकास कुमार
- अपराध का समाजशास्त्रीय विश्लेषण 113-116
  डॉ. लालेन्द्र कुमार सिंह
- गांधी के आर्थिक विचार और हिन्द स्वराज की प्रासंगिकता 117-125
  संजय कुमार सोनकर

- शंकराचार्य के विचारों की ऐतिहासिक विवेचना — 129-129
  दीपक कुमार
- **A STUDY OF WOMEN WEAVER'S CONDITION IN CHANDAULI DISTRICT (U.P.)** — 130-135
  Sarika Sharma
- हमारा जीवन और संगीत — 136-138
  अंकित मिश्रा
- भारतीय साहित्यशास्त्र का परिप्रेक्ष्य और शैली विज्ञान — 139-143
  डॉ0 अनुकूल चंद राय
- भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति — 144-150
  अखिलेष कुमार
- सप्त पदार्थ विवेचन तर्कसंग्रह के परिप्रेक्ष्य में — 151-161
  इन्दू
  डॉ0 मुरलीधर पालीवाल
- अपराध में कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व की विधिक स्थिति का मूल्यांकन — 162-168
  हरि शंकर सिंह
- आदिकाल और दलित कविता — 169-177
  सूर्य प्रकाश
- शमशेर की कविताओं में अभिव्यक्त प्रेम — 178-183
  गजेन्द्र कुमार पाण्डेय
- विद्यानिवास मिश्र के ललित निबन्धों में लोकतत्त्व एवं सामाजिक दृष्टिकोण — 184-187
  जितेन्द्र कुमार
- **BEGINNING THE GREAT TRANSFORMATION AGE IN LIBRARY PROFESSION AND PROFESSIONALS: AN OVERVIEW** — 188-196
  Mrs. Indu Bala
- **PRISON REFORMS IN INDIA** — 197-204
  Mahendra Kumar Gautam
- पाश : प्रेम और संघर्ष का कवि — 205-214
  संध्या सिंह
- भोजपुरी का समकालीन साहित्य–क्षितिज और 'जुगानी' — 215-220
  पवन राय
- अहिंसक आन्दोलन : संचार क्रांति, जनसंचार एवं सोशल मीडिया की भूमिका — 221-225
  डॉ0 भोला नाथ गुप्त
- मध्यकालीन उत्तर भारत भारतीय नगरों के उद्भव एवं विकास से संबंधित ऐतिहासिक विमर्शो का एक अध्ययन — 226-232
  सुरेन्द्र कुमार सिंह
- रामकाव्य परम्परा और तुलसीदास — 233-238
  अंजली सिंह
- भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव एवं विकास : एक विवेचना — 239-244
  रोहित कुमार

➡ 1857 की क्रान्ति के प्रथम सेनानी मंगल पाण्डे — 245-248
रामाशंकर यादव

➡ उपनिषदों में अघोर पथ — 249-253
डॉ0 आशुतोष विक्रम

➡ किसान जीवन की त्रासदी का सिनेमाई आख्यान — 254-260
अभिषेक सिंह

➡ **CHANGES IN SPERMATOZOA ALONG THE MALE REPRODUCTIVE TRACT** — 261-272
Muktanand Tripathi
Amit Kumar Tripathi

➡ आचार्य बिनोवा भावे और गाँधीवाद — 273-277
नित्यानंद उपाध्याय

➡ मध्यकाल की जड़ताओं को तोड़ता समकालीन स्त्री काव्य — 278-282
डॉ0 सुमन सिंह

➡ चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य सांस्कृतिक सरोकार — 283-286
भारती

➡ अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर गुप्तकालीन शासन व्यवस्था का मूल्यांकन — 287-293
कौशल कुमार दुबे

➡ क्षेमेन्द्र के पूर्ववर्ती आचार्यों का औचित्य विषयक दृष्टिकोण — 294-298
विवेक जायसवाल

➡ रामविलास शर्मा की नज़र में प्रेमचन्द — 299-305
शैलेन्द्र प्रताप

➡ प्राचीन भारत में कायचिकित्सा के मूलभूत सिद्धान्त — 306-311
शिव कुमार जायसवाल

➡ **CRITICAL ANALYSIS: ARTICLE 14 IS A GUARANTEE AGAINST ARBITRARINESS** — 312-318
Brijesh Kumar Singh

➡ **MODELS OF TRAINING & PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR TEACHERS** — 319-325
Pooja Rani

➡ कम्बोडिया में कला का विकास, स्वरूप एवं उस पर भारतीय प्रभाव — 326-330
डॉ. अभिनव गुप्ता

➡ चीन में भारतीय साहित्य, भाषा एवं लिपि : एक अध्ययन — 331-336
अरूण कुमार गुप्ता

✻✿❁✻✿

CRITICAL ANALYSIS: ARTICLE 14 IS A GUARANTEE AGAINST ARBITRARINESS

Brijesh Kumar Singh
Assistant Professor, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
(Central University) Bilaspur

ABSTRACT

Article 14 guarantees right to equality to every person within the territory of India. This means that a person who is not the citizen of India also has got right to equality. Article14 guarantees equality to even a foreign citizen. Equality before the law and equal protection of the laws as guaranteed by the Constitution of India through Article 14 permeates through every provision of the Constitution. Every legislation enacted by the legislation, every executive order passed by the Executive and every judgment delivered by the judiciary should pass through the filter of Article 14. "Article 14 is anathema to arbitrariness." If even after more than 55 years, of independence the State has failed to provide equality before the law to each and every person then, the Constitution should be amended to that extent and the phrase 'Equality amongst the Equals ' should be inserted. But, this will derail the basis purpose of Article 14 and the right to equality will never be attained in its truest sense. In1974 the Supreme Court evolved the new doctrine that Article 14 is a guarantee against arbitrariness. Arbitrariness is the very negation of the rule of law. But H M Seervai criticizes that the new doctrine hangs in the air.

INTRODUCTION

The intention of the founding fathers of our Constitution was to constitute India into a Sovereign, Socialist, Democratic, Republic and to secure to all its citizens Justice -Social, Economic and Political.

The Preamble of our Constitution it becomes clear that framers of our Constitution intended to guarantee 'Equality' of both states and of opportunity to each and every citizen of India.

But the framers of our Constitution did not stop there; they went much ahead and through. The Constitution of India guarantees the Right to Equality through Articles 14 to 18. "Equality is one of the magnificent corner-stones of Indian democracy." The doctrine of equality before law is a necessary collar of Rule of Law which pervades the Indian Constitution. Art.14 outlaws discrimination in a general way and guarantee equality before law to all persons. It may be worthwhile to note that Art.17